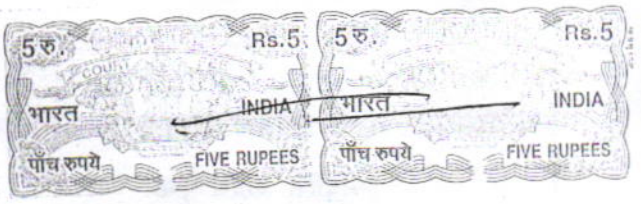

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक-R4184-PBR/15

1. नारायण सिंह पुत्र गोपीलाल
2. रामकुमार पुत्र नारायणसिंह
निवासी–पिपलिया गज्जू
तहसील,गौहरगंज जिला,रायसेन ....आवेदकगण

''विरूध्द''

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार
तहसील,गौहरगंज जिला,रायसेन म0प्र0 ....अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 35(3) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

महोदय,

निवेदन है:–

1. यह कि आवेदकगण की ओर से म0प्र0 भू–राजस्व की धारा 50 के तहत् कलेक्टर रायसेन के प्रकरण क्रमांक–3नि./12–13 आदेश दिनांक 30/09/2013 के विरूध्द निगरानी प्रस्तुत की गई थी।

2. यह कि प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 23/01/2014 ग्राह्य होने के पश्चात् सुनवाई हेतु नियत कराई गई थी जिसमें आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री0 एस. के. श्रीवास्तव पैरवी हेतु नियुक्त थे।

3. यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान आवेदकगण के अधिवक्ता श्री0 एस. के. श्रीवास्तव का स्वर्गवास हो गया तथा कई दिनो तक उनके कार्यालय के प्रकरणों में सुनवाई के दौरान कोई उपस्थित नहीं सका।

4. यह कि दिनांक 07/12/2017 को आवेदकगण का यह प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया जिसकी जानकारी 20/02/2019 को होने पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन दिया गया, प्रमाणित प्रति 15 मार्च को प्राप्त होते हुए भोपाल के अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु निवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि प्रकरण के अनुपस्थिति व विलम्ब के लिए आवेदक पक्ष दोषी नही है, आवेदकगण का आवेदन स्वीकार कर न्याय प्रदान करने की कृपा करे।

आवेदकगण

द्वारा

अधिवक्ता

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नस्थापन 549/2019/रायसेन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-5-2019	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण के ग्राह्यता के संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 7-12-2017 के विरूद्ध दिनांक 24-4-2019 को एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 26-2-2019 को प्राप्त होने के उपरांत भी आवेदकगण द्वारा विलम्ब से पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि उन्हें आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के उपरांत अविलम्ब आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । आवेदकगण द्वारा विलम्ब क्षमा करने हेतु न तो अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध में 1996 आर.एन. 257 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. छतरपुर तथा एक अन्य विरूद्ध काशी प्रसाद गुप्ता में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-विलम्ब की माफी के लिए आवेदन पत्र तथा शपथपत्र फाईल नहीं किया गया-5 दिन का विलंब माफ नहीं किया जा सकता।" उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	